हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

31.1.22 पत्रावली पेश हुई। वादी के अधिवक्ता उप.। इस वादपत्र में दिनांक 29.09.2021 को प्राथमिक डिक्री जारी की जाकर धारा 53 आर.टी.ए. के तहत तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ़ से विभाजन प्रस्ताव मंगवाये गये तथा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव पर वादी के अधिवक्ता को सुना गया। वादी अधिवक्ता द्वारा तहसील से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर सहमत होकर मुताबिक विभाजन प्रस्ताव खाता विभाजन की अंतिम विभाजन की डिक्री प्रदत्त की जाना न्यायोचित है। अतः निम्नलिखित अनुसार अंतिम विभाजन की डिक्री जारी की जाती है:–

1. वादी–सुनील पुत्र लालचन्द जाति जाट साकिन पक्कासारना खातेदार को चक 3 यू.टी.एस. के पत्थर नम्बर 52/210 (21) के किला नम्बर 2/1 में .076, 2/2 में 0.025, 3/1 में .228, 3/2 में .025, 4/1 में .228, 4/2 में .025, 5/1 में .203, 5/2 में .025, 5/3 में .025, 6/1 में .228, 6/2 में .025, 7/.253, 8/.152 नहरी 1.368 हैक्टेयर, गै.मु.खाला 0.100 हैक्टेयर व 0.050 हैक्टेयर गै.मु. रास्ता कुल तादादी 1.518 हैक्टेयर मय गै.मु.रास्ता/खाला।

उक्तानुसार अंतिम विभाजन की अंतिम विभाजन की डिक्री पारित की जाती है। स्टाम्प शुल्क पेश होने पर पर्चा डिक्री जारी हो।

तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि के सम्बन्ध में कोई विवाद न हो तथा न्यायिक स्थगन, किसी न्यायालय का स्थगन आदि न हो व प्रश्नगत भूमि पर जिस खातेदार का रहन मुक्त नहीं हुआ है, के अलावा शेष खातेदारों का उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर लगान कायम किया जावे व भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/ गैरमुमकिन/ गैरखातेदार/आराजीराज) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा। खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेगें। पत्रावली नि[illegible] दफ्तर हो।

निर्णय आज [illegible] मेरे लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0 अवि [illegible])
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन. सहायक कलेक्टर
हनुमानगढ़

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्डाधिकारी हनुमानगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Avi Garg
Date: 2022.03.21 17:37:03 IST
Reason: SelfAttested

Web Copy, Not Official
सत्यमेव जयते

Scanned with CamScanner